Bihar Administrative Service Association

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.- 9334118192

Sunil Kumar Tiwary
General Secretary
Mob. No.- 9431085120

Vice President
Ajay Kumar
9835737317

Subodh Kumar
7979919465

Joint Secretary
Chandrashekhar Azad
8987044905

Vikash Kumar
7717770977

Treasurer
Shashi Shekhar
9334557086

Memo No. 41 Date 17.08.2023

सेवा में,

मुख्य सचिव,
बिहार, पटना ।

विषयः— बिहार सरकार द्वारा 01.09.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित बिहार प्रशासनिक सेवा के ऐसे पदाधिकारी जिनकी नियुक्ति की रिक्ति एवं प्रकाशित विज्ञापन की तिथि उक्त नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होने से पूर्व तिथि का होने के कारण भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप निर्णय लेते हुए बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने से संबंधित पुनः अनुरोध किए जाने के संबंध में ।

प्रसंगः—

(1) भारत सरकार के Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Pension and Pensioners Welfare,New Delhi के Office Memorandum no.- 57/05/2021-P&PW (B), Dated-03.03.2023 (अनुलग्नक **1**)

(2) भारत सरकार के Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Personnel and Training के निर्गत पत्र संख्या

No. 25011 /02 /2021 -AIS -II (Pension), Dated 13.07.2023 **(अनुलग्नक 2)**

(3) सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के आदेश संख्या–1 / पेन– 1001 / 2023–सा0प्र0–14593, दिनांक 01.08.2023

(अनुलग्नक 3)

(4) बिहार प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा किया गया अनुरोध पत्र संख्या 27, दिनांक 12.04.2023

(अनुलग्नक 4)

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्रों / आदेशों के साथ अनुरोधपूर्वक कहना है कि वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना के संकल्प संख्या–1964, दिनांक 31.08.2005 के द्वारा आदेश निर्गत हुआ कि दिनांक 01.09.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों को नई पेंशन योजना (NPS) से आच्छादित किया जायेगा **(अनुलग्नक 5)**। इसी क्रम में दिनांक–01.09.2005 के बाद नियुक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को भी नई पेंशन योजना (NPS) से आच्छादित किया गया है ।

(2) इस संबंध में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के अनुरोध पत्र संख्या 27, दिनांक 12.04.2023 द्वारा पूर्व में भी बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को भारत सरकार के द्वारा निर्गत उक्त निर्णय के अनुरूप निर्णय लेते हुए पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने का अनुरोध किया गया था ।

(3) सुलभ प्रसंग हेतु पुनः भारत सरकार से निर्गत उक्त पत्र एवं निर्णय तथा बिहार सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के

पदाधिकारियों के संबंध में निर्गत अधिसूचना के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) से लाभान्वित करने के निम्नलिखित आधार का उल्लेख किया जाना आवश्यक है :–

(i) बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 46वीं एवं 47वीं बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों हेतु चिन्हित रिक्तियों के विरूद्ध विज्ञापन का प्रकाशन दिनांक 03.02.2004 (दैनिक जागरण) (अनुलग्नक 6) एवं दिनांक–05.11.2004 (Times of India) (अनुलग्नक 7) को किया गया था ।

(ii) इस क्रम में दिनांक 03.02.2004 के दैनिक जागरण समाचार पत्र में 46वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका–6 में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी परिनियत विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री दिनांक–31.03.2004 के पूर्व की तथा दिनांक–14.12.2004 को हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण सहित अन्य समाचार पत्रों में 47वीं संयुक्त (प्रा0) प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन के कंडिका – 6 में न्यून्तम शैक्षणिक योग्यता किसी परिनियत विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री दिनांक–01.08.2001 के पहले की होनी चाहिए जिसे बाद में 31.12.2004 तक औपबंधिक रूप से कट–ऑफ डेट निर्धारित किया गया ।

(iii) उक्त विज्ञापनों के आधार पर दिनांक–18 जून, 2007 को 46वीं बैच के चयनित पदाधिकारियों की अधिसूचना बिहार गजट (अनुलग्नक–8) में प्रकाशित की गई तथा 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक–24.01.2009 (अनुलग्नक–9) को प्रकाशित किया गया ।

(iv) उपरोक्त (अनुलग्नक–6), 46वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका–1 में अधिकतम उम्र सीमा दिनांक–01.08.2000 तथा (अनुलग्नक–7), 47वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन के कंडिका–1 में अधिकतम उम्र की गणना दिनांक–01.08.2001 के आधार पर किया जाना स्पष्ट किया गया है ।

(v) इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि 46वीं एवं 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन, चयन की अधिसूचना तक कहीं भी नई पेंशन योजना से उक्त रिक्तियों को आच्छादित किया जाना स्पष्ट नहीं किया गया है अर्थात उक्त दोनों 46वीं एवं 47वीं बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारीगण दिनांक–01.09.2005 के पहले के प्रचलित पेंशन नियमावली के आलोक में हीं विज्ञापन प्रकाशित की गयी है ।

(4) इस संबंध में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा अपने पत्र संख्या–21, दिनांक–13.07.2021 द्वारा भी प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार को C.W.J.C. संख्या–10901/2006 मो0 क्यूमउद्दीन अंसारी बनाम बिहार सरकार (अनुलग्नक–10) वाद में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–03.08.2011 को पारित आदेश :–

It is infact this aspect of matter which wound clinch the issue in favour of the petitioners in as much as it is well settles by now that old vacancies have to be Government by the old rules coming into force after beginning of process of selection as per old rules can

not be made applicable के आलोक में– "नई पेंशन योजना लागू होने की तिथि के पूर्व नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर नियुक्त किए गए पदाधिकारियों / कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाय ", अनुरोध किया गया था ।

(5) नई पेंशन योजना के संबंध में भारत सरकार के Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Pension and Pensioners Welfare, New Delhi के Office Memorandum no 57/05/2021-P&PW(B), Dated 03.03.2023 के द्वारा एक अधिसूचना निर्गत किया गया है कि वैसे सरकारी कर्मी जिनकी नियुक्ति हेतु विज्ञापन 22.12.2003 या उसके पूर्व निर्गत हो, लेकिन उनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार के अधीन 01.01.2004 से लागू नई पेंशन योजना (NPS) के बाद हुई हो, उनको भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) से लाभान्वित किया जाएगा तथा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके कंडिका 4 में उल्लिखित प्रावधान निम्नवत है :–

The matter has been examined in consultation with the Department of Financial Services, Department of Personnel & Training, Department of Expenditure and Department of Legal Affairs in the light of the various representations/references and decisions of the Courts in this regard. It has now been decided the, in all cases where the Central Government civil employee has been appointed against a post or vacancy which was advertised/notified for recruitment/appointment, prior to the date of notification for National Pension System i.e 22.12.2003 and is covered under the National

Pension System on joining service on or after 01.01.2004, may be given a one-time option to be covered under the CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021). This option may be exercised by the concerned Government servants latest by 31.08.2023.

(6) उक्त अधिसूचना के आलोक में भारत सरकार के Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Personnel and Training के निर्गत पत्र संख्या No. 25011/02/2021-AIS-II (Pension), Dated 13.07.2023 द्वारा सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अखिल भारतीय सेवा के ऐसे पदाधिकारीगण जिनकी नियुक्ति हेतु रिक्ति एवं विज्ञापन नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होने की तिथि से पूर्व का है, को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने के संबंध में विस्तृत निर्णय एवं दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है ।

(7) उपरोक्त निर्णयों के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के आदेश संख्या –1/ पेन– 1001/2023 –सा0प्र0 –14593, दिनांक 01.08.2023 द्वारा दिनांक 22.12.2003 से पूर्व के प्रकाशित सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित अधिसूचना की तिथि के आधार पर कुल 11 भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को उक्त लाभ दिए जाने का आदेश निर्गत किया गया है ।

(8) इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि C.W.J.C. संख्या–2312/2022 बिहार प्रशासनिक सेवा संघ बनाम बिहार सरकार वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किया गया है जो प्रक्रियाधीन है (अनुलग्नक–11) । विदित हो कि इस वाद में मुख्य सचिव, बिहार सरकार, प्रधान सचिव, वित्त विभाग, प्रधान

सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार लोक सेवा आयोग, महालेखाकार, बिहार एवं अन्य को पक्षकार बनाने पर भी इस वाद में बिहार सरकार की तरफ से मात्र सहायक निदेशक, सामान्य भविष्य निधि के द्वारा प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया है जिसमें माननीय विभिन्न न्यायालयों के न्यायादेश एवं भारत सरकार के उक्त निर्णय तथा परिपत्रों को समाहित / संदर्भित नहीं किया जा सका है । उक्त प्रतिशपथ पत्र में मात्र यह उल्लेख किया गया है कि नई अंशदायी पेंशन योजना बिहार सरकार के द्वारा लागू किए जाने के पश्चात उक्त पदधिकारियों की नियुक्ति हुई है इसलिए इन्हें सामान्य भविष्य निधि का खाता संख्या प्राप्त नहीं कराया जा सकता है । स्पष्ट है कि यह विषय नियुक्ति की तिथि नहीं बल्कि रिक्ति एवं विज्ञापन की तिथि नई अंशदायी पेंशन योजना लागू किए जाने से पूर्व का होने की स्थिति में लिए गए भारत सरकार के निर्णय के समनरूप बिहार सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना वांछित है ।

भारत सरकार द्वारा निर्गत उक्त पत्र में भी विभिन्न विभागों से विमर्शोपरान्त तथा विभिन्न न्यायालयों द्वारा इस संबंध में पारित आदेश के आलोक में उक्त निर्णय लिया जाना उल्लिखित है।

(9) उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी बिहार सरकार द्वारा भारत सरकार के द्वारा गठित वेतन आयोगों की अनुशंसा एवं सेवा शर्त्तों से संबंधित विषयों पर भी समनरूप निर्णय लिया जाता रहा है । अतः इस संबंध में यदि बिहार सरकार द्वारा भी उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो बिहार प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा उक्त वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना से वापस ले लिया जायेगा, इससे समय एवं संसाधन के अपव्यय से बचा जा सकेगा ।

अतः पुनः अनुरोध है कि उक्त प्रासंगिक भारत सरकार के अधिसूचना एवं निर्णयों तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के आदेश संख्या –1/ पेन– 1001/2023–सा0प्र0–14593, दिनांक 01.08.2023 के साथ–साथ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. संख्या – 10901/2006 मो0 क्यूमउद्दीन अंसारी बनाम बिहार सरकार में दिनांक–03.08.2021 को पारित आदेश के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के प्रावधानों के अधीन पुरानी पेंशन (OPS) योजना का लाभ दिए जाने के बिन्दु पर निर्णय लेने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :– यथोपरि ।

विश्वासभाजन,

16/08/23

(सुनील कुमार तिवारी)
महासचिव

16/8/23

(शशांक शेखर सिन्हा)
अध्यक्ष